

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59ए) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक:

स्थान: भोपाल

(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)